

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

जुन-2012

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)42/2011	परियोजना बालिका उच्च विद्यालय विष्णुगढ़ हजारीबाग में आदेशपाल के पद पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन के संबंध में मो० शान्ति सिन्हा का शिकायत ।	06.06.2012	निदेशक माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें विद्यालय में आदेशपाल के दो पद सृजित हैं के कारण परिवादीनी के नियुक्ति को अनुमोदन नहीं किया गया का उल्लेख है। परिवादीनी से मंतब्य की मांग की गई परन्तु पर्याप्त पत्राचार के बाद भी मंतब्य नहीं दिया गया । अतः परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व) 07/12	दिलीप कुमार भैया, पट्टाजोरी, करमाटांड, जामताड़ा द्वारा मौजा पट्टाजोरी के शमशान घाट से अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण अंचलाधिकारी जामताड़ा के विरुद्ध शिकायत ।	06.06.2012	मामला न्यायालय में लम्बित रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(ग्रा०वि०वि०) 12/2011	स्व० बट्टी साह, भूतपूर्व जनसेवक का बकाया वेतनादि के भुगतान के संबंध में ।	6.6.2012	उपायुक्त साहेबगंज के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.				

पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पथ)03/2008	मेसर्स गुरनामी कन्सट्रक्सन द्वारा करये गये विभिन्न कार्यों के विरुद्ध जमा की गई राशि, कटी हुई राशि एवं बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	11.6.2012	माननीय लोकायुक्त के कार्रवाही के फलस्वरूप परिवादी को संबधित विभाग द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया ।

कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(कल्याण)01/09	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय सी०डी०पी०ओ० कोडरमा द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए नाजायज राशि लेकर आंगनबाड़ी सेविका के चयन में नियमितता करने के संबंध में ।	7.6.2012	उपायुक्त कोडरमा के प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पेयजल एवं स्व०)107/07	श्री ओम प्रकाश एवं श्री राजेश्वर प्रसाद अधीक्षण अभियंता (असैनिक) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची को प्रोन्नती प्रदान करने के संबंध में ।	25.06.2012	प्रोन्नती से संबंधित परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते हैं तथा परिवादी द्वारा परिवाद में निवर्तमान त्रुटियों का निराकरण ससमय नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

शिकायत / परिवाद

जुन, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 361/12	अंचलाधिकारी डुमरी तथा राजस्व कर्मचारी द्वारा जमीन से बेदखल करने संबंधी श्री आनंद कुमार वर्णवाल का शिकायत ।	06.06.2012	यह मामला अंचलाधिकारी के समक्ष लम्बित रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
2.	शिकायत सं० 222/11	उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम द्वारा रैयति जमीन को टाटा लीज से विमुक्त करने का प्रसताव सरकार को नहीं भेजने के संबंध में श्री चन्द्रेव सिंह का शिकायत ।	06.06.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं० 391-392/12	पेंशन तथा लाभांश भुगतान के संबंध में श्री सुधीर चन्द्र तिवारी तथा श्री श्याम बहादुर सिन्हा धनबाद का शिकायत ।	07.06.2012	शिकायत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
4.	शिकायत सं० 375/12	मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदान(सेल) के पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारीयों के वेतन से पुजा के नाम पर जबरन कटौती किए जाने के	04.06.2012	परिवाद स्टील ऑथरिटी ऑफ इन्डिया (सेल) के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध किया गया है जो भारत सरकार का लोक उपक्रम है तथा जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में

				नहीं आत है । अतः परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं0 372/12	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपायुक्त कोडरमा के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में श्री महेन्द्र साव, मरकच्चों कोडरमा का शिकायत ।	04.06.2012	इस प्रकार के परिवाद से संबंधित निराकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
6.	शिकायत सं0 612/11	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा टोल गार्ड का भविष्यनिधि एवं ग्रुप बीमा में की गई कटौती को ब्याज सहित भेजने के संबंध में ।	07.06.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।